

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 609 सन 2021

अनवान :-

1. विजय पुत्र जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. दिनेश पुत्र राजू जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
3. मुकेश पुत्र राजू जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र लीलूराम जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. पूनम पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
3. सुमन पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
4. कालीदेवी पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
5. सुनिता पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
6. कृष्णा पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
7. राधा पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
8. भतेरी रानी पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
9. पूजा रानी पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
10. राजु पुत्र लीलूराम जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
11. मंजु पुत्री राजु जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
12. गुडडी पुत्री लीलूराम जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
13. रानी पुत्री लीलूराम जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
14. सुषमा पुत्री लीलूराम जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 08.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 243/245 की कुल 11.1270 हैक प्रतिवादी संख्या 1, 10 एवं शान्तिदेवी के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज लीलूराम के नाम से दर्ज हुई थी जिनका देहान्त होने पर विरास्तन से उनके पुत्र/पत्नी प्रतिवादी संख्या 1, 10 एवं शान्तिदेवी के नाम से दर्ज हुई थी वादीगण की दादी शान्तिदेवी का देहान्त हो चुका है शान्तिदेवी पत्नी लीलूराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो शान्तिदेवी के नाम से दर्ज भूमि को अपन हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 9, 11 ता 14 वादीगण की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 10 की पुत्री/बहन है प्रतिवादी संख्या 2 ता 9, 11 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1, 10 शान्तिदेवी के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता /दादा लीलूराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 9, 11 ता 14 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

.10 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 10 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा के खाता संख्या 243/245 की कुल 11.1270 हैक प्रतिवादी संख्या 1,10 एवं शान्तिदेवी के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज लीलूराम के नाम से दर्ज हुई थी जिनका देहान्त होने पर विरास्तन से उनके पुत्र/पत्नी प्रतिवादी संख्या 1,10 एवं शान्तिदेवी के नाम से दर्ज हुई थी वादीगण की दादी शान्तिदेवी का देहान्त हो चुका है शान्तिदेवी पत्नी लीलूराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो शान्तिदेवी के नाम से दर्ज भूमि को अपन हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 9,11 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 9,11 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 9,11 ता 14 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा के खाता संख्या 243/245 की कुल 11.1270 हैक प्रतिवादी संख्या 1,10 एवं शान्तिदेवी के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में शान्तिदेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/2 हिस्सा, वादीगण संख्या 2,3 व प्रतिवादी संख्या 10 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/11/2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (सजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट...ललानाबास उत्तरादा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. विजय पुत्र जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
2. दिनेश पुत्र राजू जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
3. मुकेश पुत्र राजू जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

- 1 जगदीश पुत्र लीलूराम जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
- 2 पूनम पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
- 3 सुमन पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
- 4 कालीदेवी पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
- 5 सुनिता पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
- 6 कृष्णा पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
- 7 राधा पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
- 8 भतेरी रानी पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
- 9 पूजा रानी पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
- 10 राजु पुत्र लीलूराम जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
- 11 मंजु पुत्री राजु जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
- 12 गुडडी पुत्री लीलूराम जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
- 13 रानी पुत्री लीलूराम जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
- 14 सुषमा पुत्री लीलूराम जाति नायक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।
- 15 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 609 सन 2021 निर्णय दिनांक- 08.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा के खाता संख्या 243/245 की कुल 11.1270 हैक् प्रतिवादी संख्या 1, 10 एवं शान्तिदेवी के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में शान्तिदेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/2 हिस्सा, वादीगण संख्या 2, 3 व प्रतिवादी संख्या 10 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट..ललानाबास उत्तरादा